न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 57/2023
ऑनलाईन नम्बर 2023/109

निर्णय दिनांकः 22.01.2024

पोकरराम पुत्र सोहनलाल जाति बिश्नोई निवासी सांवतसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—प्रार्थी—

बनाम

1. संतोष कुमार 2. हरिराम 3. राजाराम पुत्रगण शिवलाल 4. गौरा देवी पत्नी रामरतन 5. सतीश 6. रामनिवास पुत्रगण रामरतन जातियान बिश्नोई निवासीगण सांवतसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर 7. प्रियंका पत्नी दलीप जाति बिश्नोई निवासी नागणेची मंदिर के पास बीकानेर 8. राजा पत्नी स्व. सुरेन्द्र जाति बिश्नोई निवासी जेगला तहसील नोखा जिला बीकानेर 9. केसर पत्नी हेतराम जाति बिश्नोई निवासी चक विजयसिंहपुरा तहसील कोलायत जिला बीकानेर 10. शारदा पत्नी चैनाराम जाति बिश्नोई निवासी डेलाणा तहसील लूणकरनसर जिला बीकानेर 11. राधा पत्नी जगदीश जाति बिश्नोई निवासी रासीसर तहसील नोखा जिला बीकानेर 12. रोशनी पत्नी लेखराम जाति बिश्नोई निवासी डेलाणा तहसील लुणकरनसर जिला बीकानेर 13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व श्रीडूंगरगढ़ 14. शाखा प्रबंधक एस.बी.आई. शाखा दुलचासर ।

—अप्रार्थीगण—

उपस्थितिः—

1. श्री के.के. पुरोहित अभिभाषक प्रार्थी ।
2. अप्रार्थी सं. 1 ता 12 व 14 एकतरफा कार्यवाही
3. पैरोकारराज स्टेट की ओर से

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251A राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र निम्न आधारो पर सादर प्रस्तुत है कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण एक ही परिवार के सदस्य है तथा प्रार्थी व अप्रार्थीगण के पिता शिवलाल पुत्र हरभज की खातेदारी कृषि भूमि शामिलातान की कृषि भूमि थी जिसका विभाजन किया गया। प्रार्थी व प्रार्थी की माता सोनीदेवी व बहिनो कमला, नेनू, फूली, मोहनी, सुमित्रा के नाम से खेत खसरा नंबर नंबर 394 तादादी 1.90 हैक्टेयर बारानी रोही कोटासर तहसील श्रीडूंगरगढ में स्थित है। उपरोक्त कृषि भूमि को प्रार्थी ही काश्त करता है जिसका रास्ता अप्रार्थी संख्या 1 ता 12 के पिता शिवलाल के नाम से दर्ज खातेदारी खेत खसरा नंबर 393 तादादी 6.8300 हैक्टेयर बारानी रोही ग्राम कोटासर की पूर्वी सीमा से होते हुये प्रार्थी के खेत में जाता है। शिवलाल पुत्र हरभज की मृत्यु हो चूकी है जिनके अप्रार्थी संख्या 1 ता 12 जायज वारिसान है। खेत खसरा नंबर 393 तादादी 6.83 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम

3

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.02.03 11:02:33 IST
Reason: SelfAttested

कोटासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ की दक्षिणी सींव पर ग्रेवल सड़क बनी हुई है जो खेत खसरा नंबर 395 तक जाती है तथा खेत खसरा नंबर 393 की पूर्वी सीमा से होते हुये प्रार्थी अपने संयुक्त खातेदारी खेत खसरा नंबर 394 में प्रवेश करता है जो नजरी नक्शा में ग्रेवल सड़क ए से बी दर्शायी हुई है तथा प्रार्थी के खेत में आवागमन नजरी नक्शा में सी से डी दर्शाया हुआ है। उपरोक्त रास्ता प्रार्थी के खेत में जाने के लिये एकमात्र रास्ता है । इसके अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है । उक्त खेत में प्रार्थी का विद्यमान रास्ता है जिसकी चौड़ाई 9 मीटर है व लम्बाई 92 मीटर है जो प्रार्थी का रास्ता अप्रार्थी संख्या 1 ता 12 के खेत खसरा नंबर 393 रोही कोटासर की पूर्वी सीमा से होते हुये प्रार्थी अपने खातेदारी खेत खसरा नंबर 394 में प्रवेश करता है । प्रार्थी उक्त रास्ते को दर्शाते हुये फर्द मौका का नक्शा सलग्न किया जा रहा है जिसमें जो नजरी नक्शा में ग्रेवल सड़क ए से बी दर्शायी हुई है। प्रार्थी के खेत में आवागमन नजरी नक्शा में सी से डी दर्शाया हुआ है जिसकी लम्बाई 92 मीटर है जो प्रार्थी के खेत में जाता है जो अत्यन्त आवश्यक एवं प्रार्थी के खेत तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता है। उक्त रास्ता सुविधा का न होकर आवश्यकता का है। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी द्वारा अपने खेत तक पहुंचने का अन्य कोई रास्ता नहीं है । प्रार्थी के खेत में जाने के लिये अन्य कोई रास्ता नहीं है। प्रार्थी शुरू से ही इसी रास्ते से होकर अपने खेत में आता–जाता है। प्रार्थी का रास्ता अप्रार्थी संख्या 1 ता 12 के खेत खसरा नंबर 393 तादादी 6.83 हैक्टेयर बारानी रोही ग्राम कोटासर में से 92 गुणा 9 क्षेत्रफल 828 वर्गमीटर है। प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 1 ता 12 को रास्ते के क्षेत्रफल की सरकारी डीएलसी दर से दुगुना कीमत अदा करने को तैयार है। प्रार्थी इसी रास्ते से आता–जाता है। इसलिये प्रार्थी द्वारा यही रास्ता मांगना आवश्यक एवं मजबूरी है। प्रार्थी द्वारा कम से कम चौड़ाई के रास्ते की मांग की गई है। प्रार्थी की एवं रास्ते की भूमि रोही ग्राम कोटासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ में अवस्थित होने से श्रीमान्जी के क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार में है। प्रार्थना पत्र पूर्ण कोर्ट फीस पर न्यायालय श्रीमान्जी के समक्ष प्रस्तुत है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर श्रीमान्जी से निवेदन है कि प्रार्थी के संयुक्त खातेदारी खेत खसरा नंबर 394 तादादी 1.90 हैक्टेयर रोही कोटासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ का रास्ता अप्रार्थी संख्या 1 के खातेदारी खेत खसरा नंबर 393 तादादी 6.83 हैक्टेयर बारानी रोही ग्राम कोटासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ में से 92 गुणा 9 क्षेत्रफल 828 वर्गमीटर सलग्न नक्शे में दर्शाये अनुसार रास्ता को राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जाने का आदेश अप्रार्थी संख्या 2 को फरमाये जाने की कृपा करें।

प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड एडी नोटिस तलब किया गया। परन्तु अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 12 व 14 बावजूद रजिस्टर्ड एडी नोटिस तामिल होने के उपरान्त भी अनुपस्थित रहनें के कारण इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। स्टेट की ओर से पैरोकार [illegible] मौका रिपोर्ट पेश की गई। जिसकी एक प्रति प्रार्थी अधिवक्ता को दिलवाई गई। [illegible] उभयपक्षकारान सुनी गई। संक्षेप

3

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.02.03 11:02:33 IST
Reason: SelfAttested

में स्टेट को प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार करनें में आपति नहीं होने व प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

खेत खसरा नंबर 394 तादादी 1.90 हैक्टेयर वाकेरोही कोटासर तहसील श्रीडूंगरगढ का रास्ता अप्रार्थी संख्या 1 के खातेदारी खेत खसरा नंबर 393 तादादी 6.83 हैक्टेयर रोही कोटासर की दक्षिणी सिंव के सहारे–सहारे अवस्थित ग्रेवल सडक जो खसरा नंबर 395 की सीमा तक है जो ग्रेवल सडक में पहुंचेगा। जो रास्ता 70 मीटर लम्बा व 5 मीटर चौडा कुल 3500 वर्गमीटर(0.035 हैक्टेयर) है अप्रार्थीगण संख्या 1 के खेत खसरा नंबर 393 में गैर मुमकिन रास्ता के रूप में लाल स्याही अंकिन किया जाकर रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिये जाते है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण संख्या के 1 ता 12 के खातेदारी खेत खसरा नंबर 393 में से 3500 वर्गमीटर भूमि रास्ते में उपयोग मे ली जायेगी। जिसका डी. एल.सी. दर 7.84 लाख प्रति हैक्टेंयर से दुगनी प्रतिकर राशि 54,880/–रूपये प्रार्थी से अप्रार्थी संख्या 1 ता 12 को दिलाया जाना न्यायोचित है। तहसीलदार उक्त प्रतिकर राशि का बैक ड्राफ्ट प्रार्थी से अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 12 के नाम निर्णय के 15 दिवस में प्रस्तुत करने पर अप्रार्थी संख्या 13 द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 ता 12 के खेत खसरा नम्बर 393 में से प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते का अंकन आदेशानुसार कर रिकार्ड में अमल दरामद करें। नक्शा निर्णय का भाग रहेगा।

आदेश आज दिनांक 22.01.2025 को मेरे द्वारा सरे इजलास लिखाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में कम होकर दाखिल दफतर हो।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.02.03 11:02:33 IST
Reason: SelfAttested